प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।

सेवा में,

ए०पी०जी०आर० गोलोबल सिनियर सेकण्डरी स्कूल,
इनामीपुर कुचाई, मऊ।

पत्रांक : 912-15 /2014-15 दिनांक : 31/05/2014

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 31.10.2013 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती [illegible] निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं ए०पी०जी०आर०गोलोबल सिनियर सेकण्डरी स्कूल, इनामीपुर कुचाई, मऊ [illegible] 31.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री–प्राईमरी से कक्षा 08 तक [illegible] के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की [illegible]

[illegible] मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है–

[illegible] की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और [illegible] किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता [illegible] लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

[illegible] निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4. [illegible] में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के [illegible] प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता [illegible]

5. [illegible] विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उस विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की [illegible] जाएगी;

[illegible] प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए [illegible] प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा;

[illegible] अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का प्रवेश दिया जाना;

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे;

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन [illegible]

(8) अध्यापक स्वयं को किसी [illegible] क्रियाकलाप में नियोजित [illegible]

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा यथाअधिकथित [illegible] के आधार पर [illegible] का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियमों की [illegible] विद्यालय के मानको और सनियमों का [illegible]

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई [illegible] अनुसार –

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

प्रधानाचार्य
[illegible] विद्या मंदिर सी०से० स्कूल [illegible] गाजीपुर

Principal
A.P.G.R. Global Sr. Sec. School
Inamipur Kuchai (Sipah)-Mau

Manager
A.P.G.R. Global Sr. Sec. School
Inamipur Kuchai [illegible]

कक्षाओं की संख्या
प्रध्यापक–सह कार्यालय–सह भांडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुच
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूल उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नही चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और [illegible] द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार [illegible] प्रत्येक लेखा वितरण की एक प्रति प्रत्यक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित यथा कोड संख्याक.............. है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या [illegible] कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्नक उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(जे०के०वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।

पृ०सं०/——— /2014--15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, घोसी, मऊ।

प्राचार्य
Principal
जवाहर नवोदय विद्यालय
Jawahar Navodaya Vidyalaya
जीयनपुर, आजमगढ़
Jiyanpur, Azamgarh-276140

Principal
A.P.G.R. Global Sr. Sec. School
Inamipur, Kuchai (Sipah)-Mau

(जे०के०वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।

प्रधानाचार्य
माधव सरस्वती विद्या मंदिर सी०से० स्कूल
माधवपुरम (प्रकाश नगर), गाजीपुर (उ०प्र०)

Manager
A.P.G.R. Global Sr. Sec. School
Inamipur, Kuchai (Sipah)-Mau